भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1701
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

विवाद का ऑनलाइन समाधान

1701. श्रीमती फूलो देवी नेतम :

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी :

क्या **विधि और न्यायमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) सेवाओं को बढ़ावा देने और लागू करने की कोई योजना है, ताकि जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके;
(ख) सरकार आम जनता के बीच ओडीआर और इसके लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए में क्या कदम उठा रही है; और
(ग) क्या मंत्रालय ओडीआर सेवाओं के कार्यान्वयन में शामिल होगा, और यदि हां, तो उनकी भूमिका और जिम्मेदारियां क्या हैं, यदि नहीं, तो सरकार राष्ट्रीय स्तर पर ओडीआर सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कर रही है?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : ऑन-लाइन विवाद समाधान (ओडीआर) की संकल्पना भारत में अभी उदीयमान अवस्था में है । नीति आयोग ने इसे आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था तथा समिति की "विवाद समाधान के भविष्य का अभिकल्पन : भारत के लिए ओडीआर नीति की योजना" शीर्षक वाली रिपोर्ट 29.11.2021 को जारी की गई । यह, अन्य-बातों के साथ-साथ, लागत प्रभावी, आसान, प्रभावी प्रक्रिया के रूप में ओडीआर को मुख्य धारा में लाने की सिफारिश करती है, जिसमें विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव लाया जा सकता है । भारत सरकार ने ऑन-लाइन विवाद समाधान के महत्व को स्वीकार किया है तथा वह 20.12.2021 को राज्य सभा में पुर:स्थापित मध्यकता विधेयक, 2021 के अपेक्षित उपबंधों द्वारा ओडीआर को विधायी समर्थता का उपबंध करने का प्रस्ताव करती है । विधेयक ऑन-लाइन मध्यकता ढंग से मध्यकता के संचालन को मान्यता प्रदान करता है, जिससे वह पक्षकारों के लिए दूरी के अवरोध को हटा देता है ।

29.11.2021 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत के लिए ओडीआर नीति की योजना, ओडीआर के लिए जागरूकता फैलाने हेतु विभिन्न उपायों की सिफारिश करती है । सरकार के स्तर पर ओडीआर के संबंध में जागरूकता को बढ़ाने के उपाय, उस प्रयोजन के लिए विधिक ढ़ांचा तैयार

हो जाने पर उद्‌भूत होगा ।

****